

रेवती रमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर

21



जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2016-17

प्रवेश विवरणिका



Admission & Information Brochure

Phone/ Fax: 07775 266657, Email- pri.gdc.surajpur@gmail.com

web- www.govtcollegesurajpur.in

मूल्य रु. 30.00

रेवती रमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)



प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एस.एस. अग्रवाल
मो.नं.-9425585792

सन्न : 2016-2017

- (1) शिक्षण सत्र दिनांक 16.06.2016 से प्रारंभ होगा।
- (2) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लेवें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (3) प्रवेश लेने के एक सप्ताह पश्चात् छात्र/छात्रा अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (4) महाविद्यालय में अनुशासन एवं पठन-पाठ में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (5) महाविद्यालय परिसर में मोबाईल पूर्णत प्रतिबंधित है।
- (6) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (7) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- (8) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड्डाल/हिंसक कार्यवाही एवं अन्य किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- (9) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (10) अवधान राशि (कॉशन मनी) देय होने पर रसीद जमा के पश्चात् मनीआर्ड द्वारा संबंधित के पते पर भेजी जावेगी।

परिचय-

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर की स्थापना नागरिकों के लम्बे संघर्ष के बाद परिणाम स्वरूप सत्र 1984-85 में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह पोर्ट के द्वारा खोलने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में सीमित संसाधनों के साथ नगर पालिका से लगे नेहरू बाल सदन के छोटे से भवन व नगरपालिका के सामुदायिक हाल में महाविद्यालय की शुरुआत की गई। जन सहयोग से फर्नीचर, पंखा एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटा कर कलाएँ एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई, और बाद में नगर पालिका के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दो अतिरिक्त कमरे महाविद्यालय को प्रदान किये गए, जिसमें बी.ए. एवं बी.काम अंतिम की कक्षाएँ प्रारम्भ हो सकीं।

सात वर्षों के बाद 17 सितम्बर 1991 में तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा ने 26.5 एकड़ भू-खण्ड के साथ महाविद्यालय को स्वयं के भवन की सौगत दी। भवन मिल जाने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण मिला, समय के साथ-साथ महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। उल्लेखनीय है कि अधिभाजित मध्यप्रदेश में सबसे बड़ी तहसील हौने का गैरव प्राप्त करने वाले आज के जिला मुख्यालय सूरजपुर के महाविद्यालय को शासन के द्वारा जिले का अग्रणी महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर प्रारंभ में गुरुदासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा, वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय अन्विकापुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय का भवन सूरजपुर के गुरुदासीदास वार्ड क्रमांक 09 में स्थित है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वर्तमान में संशोधित नामकरण पूर्व विधायक पं. रेवतीरमण मिश्र के नाम से रखा गया है।

महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ, जिनका पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना अनिवार्य हैं -

- (1) ड्रेस कोड - महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है, सभी छात्र/छात्राएँ कक्षाओं में एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे।
- (2) छात्र अभिभावक योजना - छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र अभिभावक योजना लागू है, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय का एक प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक अभिभावक के रूप में कार्य करेगा, इस छात्र अभिभावक के समक्ष संबंधित छात्र/छात्रा पठन-पाठन से संबंधित व अन्य समस्याओं को व्यक्त कर सकेगा / सकेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक को महाविद्यालय में भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकेगा।
- (3) रैरिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिप्त पाए जाने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु भी प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।
- (4) छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं को यूनिट टेस्ट तिमाही/छ.माही परीक्षा में शामिल होना व उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही नियमित परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति भी आवश्यक है।
- (5) समय-समय पर जारी होने वाली सभी आदेशों/निर्देशों का पालन सभी छात्र/छात्राओं को करना आवश्यक होगा।
- (6) स्नातक विषयों में महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है। (अ) कला संकाय - हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, (ब) विज्ञान संकाय - वनस्पतिविज्ञान, रसायनविज्ञान, जन्तुविज्ञान एवं भौतिकी-गणित (स) वाणिज्य संकाय - समस्त अनिवार्य विषय है। बी.सी.ए., डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएँ भी संचालित हैं।
- (7) स्नातकोत्तर विषयों में महाविद्यालय में हिन्दी एवम् राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन की सुविधा है।
- (8) महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु मैदान उपलब्ध है, जहाँ प्रभारी प्राध्यापक के सहयोग से सम्पूर्ण क्रिया-कलापों का संचालन किया जाता है।
- (9) महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई है, जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य है। सभी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमांकों में रूचि लेकर पारस्परिक सहयोग से ही योजनाओं को निष्ठापूर्वक पूर्ण कर महाविद्यालय की गैरवशाली परम्परा का निर्वाह करते हैं।
- (10) महाविद्यालय में युथ रेडक्रास की इकाई संचालित है। जिसके सदस्य महाविद्यालय के सभी प्रवेशित छात्र/छात्राएँ हैं। सक्रिय सदस्यों की एक इकाई गठित की जाती है जो कि सभी प्रकार के रचनात्मक एवम् सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्तदान में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हुए स्वेच्छित रक्तदान करते हैं।
- (11) यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अनिवार्य 1956 की धारा 2(F) 12 (B) में पंजीकृत है।
महाविद्यालय में स्व वित्तीय योजना जनभागीदारी के अंतर्गत खोले गये विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी -
- (1) बी.सी.ए. - निर्धारित सीट - 60 प्रवेश की पात्रता - बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में वे समस्त छात्र/छात्राएँ प्रवेश की पात्रता रखते हैं जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो बी.सी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होगा। गणित विषय से 12 वीं उत्तीर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं को बृजकोर्स को परीक्षा सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश शुल्क - बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रवेश शुल्क रु. 6000.00 छ. हजार रुपये प्रति वर्ष होगा।

2. डी.सो.ए. - निर्धारित सीट 40 - डी.सी.ए. एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें वे सभी छात्र/छात्रायें प्रवेश की पात्रता रखते हैं। जिन्होने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
प्रवेश शुल्क- उक्त कोर्स के लिए प्रवेश शुल्क 5000.00 पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जो कि प्रवेश के समय ही भुगतान करना होगा।
3. पी.जी.डी.सी.ए. - निर्धारित सीट 50 - पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक या स्नातकोर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।
प्रवेश शुल्क- प्रवेश शुल्क की राशि 10000.00 दस हजार रु. होगी। कम से कम 10 प्रवेश होने पर ही पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन - निर्धारित सीट 50 - यह पाठ्यक्रम तीन वर्षों के लिए होगा। जो छात्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेगे, उन छात्रों का एक विषय का ग्रुप कम हो जाएगा। वाणिज्य के प्रथम वर्ष के छात्रों को जो कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय लेगे उन्हे व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण की परीक्षा नहीं देनी होगी।
प्रवेश शुल्क- जो छात्र उक्त पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उन्हे 5000.00 रुपये वार्षिक शुल्क के रूप में प्रवेश के समय भुगतान करना होगा।
5. बी.काम प्रथम निर्धारित सीट - 120
6. बी.एस.सी. प्रथम निर्धारित सीट - 180
7. बी.ए. प्रथम निर्धारित सीट - 180

- टीप- 1.** उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का पालन किया जावेगा।
2. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राये निर्धारित समयावधि तक ही आवेदन कर सकेंगे।
 3. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही किया जाएगा।
 4. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक एवं सेद्धान्ति कक्षाएँ निर्धारित समय पर हुआ करेगी।
 5. प्रवेशित छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
 6. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक एवं अनिवार्य।
 7. महाविद्यालय अध्यापन के दौरान अनुशासन बनाये रखना आवश्यक व अनिवार्य होगा। अनुशासन हीनता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत, अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अरथात् प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने से सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में

उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब भी हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है इसके स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश शूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मुल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

- 4.4 घोषित प्रवेश शूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रोगिग / अनुशासनहीनता / तोडफोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही विद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.काम./एम.एच.एस.-सी./एम.ए. पूर्व एवं नियेदित विषय लेकर, बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्व परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्व में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)इंडियन कॉर्सिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंस्ट्रीमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/आप कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/ डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 अप्रैल 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अहता संरचना में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षेत्रिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक वी.ए./ वी.काम / वी.एस.-सी / वी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः: द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/ विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/ विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे। राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/ गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/ द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय में पूरक/ एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/ द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 % पूरा न करने वाले यां पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा ने अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र/ छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताण् :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेंटिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व/ प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/ भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /पिछडे वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं 'आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के

- समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी के अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा अर्थात् -
 (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
 परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती हैं तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) विन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।
 (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उर्ध्वलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय- समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थारिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the state Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments."

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा , पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा , अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण - पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा , एक अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

02 प्रतिशत

03 प्रतिशत

(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट

10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट

15 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के

15 प्रतिशत

लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला , संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

02 प्रतिशत

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

04 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को

06 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त केंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

07 प्रतिशत

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

05 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को

06 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

07 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

05 प्रतिशत

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को

15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला

10 प्रतिशत

क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

10 प्रतिशत

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय। स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियांड/एशियांड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें प्राप्त होता है।

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राप्ति की गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन 'हाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को इनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जासेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा :0 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राचार्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

विशेष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा संष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में सभ्य-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा। नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

रेवतीरमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ.ग.

21

प्रवेश आवेदन पत्र 2016-2017

आवेदन पत्र क्रमांक	वर्ग- सामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक
प्रवेश हेतु आवेदित कक्षा.....	रक्त समूह
ऐच्छिक विषय- 1.....	3
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....	
अंग्रेजी (बडे अक्षरों में).....	
2. पिता/अभिभावक का नाम	
माता का नाम	
जाति	धर्म
वार्षिक आय	व्यवसाय
3. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....	
(शब्दों में).....	
4. आवेदक का स्थायी पता.....	दूरभाष/ पो. नं.....
5. आवेदक का स्थानीय पता.....	दूरभाष/ पो. नं.....
6. अर्हताकारी परीक्षा का नाम	
प्राप्तांक /पूर्णांक.....	प्रतिशत
7. अभिरुचियाँ- 1.....	2.....
8. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि	3.....
9. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें-	
10. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन -.....	
दिनांक-.....	

छात्र/छात्राएँ अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर करें

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)	पूरा नाम
1.....	2.....
2. चरित्र प्रमाण -पत्र (मूल प्रति).....	3.....
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....	
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वं/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....	
5. छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)	
6. अन्य प्रमाण -पत्र	
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)	
8. गरीबीरेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि	

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जाँचोपरांत अस्थायी प्रवेश की
अनुशंसा की जाती है। दिनांक तक
प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-
शासकीय शुल्क रसीद क्र..... राशि

अशासकीय शुल्क रसीद क्र..... राशि

दिनांक शुल्क लिपिक

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

15

मैं..... ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता / करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिं सात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूँगा/लूँगी।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासनहीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मोबाइल/फोन नं.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....

यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समर्पण जानकारियाँ सत्य हैं। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैनिकी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूँगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूँगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मोबाइल/फोन नं.....

विश्वविद्यालय के अनुदेश -

छात्रों को सतत ध्यान रखना होगा कि अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे अन्यथा उनका नाम तत्काल

महाविद्यालय प्रवेश सूची से निकाल दिया जावेगा।

आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

रेवतीशमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छ.ग.
ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2016-17

दस्तावेज़ संख्या

रीडर्स कार्ड

संख्या

त्रै/छात्रा का नाम

कक्षा

ता श्री

पासपोर्ट

विषय/संकाय

साईज़

वेश रसीद क्रमांक:- शासकीय

फोटो

इनांक

संलग्न करें।

र्तमान पता:- मकान नं.

वाई संख्या

थाना

गाम/शहर

पोस्ट अॉफिस

फोन नंबर

हसील

मोबाइल नंबर

जेला

वाई संख्या

थाना

थायी पता:- मकान नं.

पोस्ट अॉफिस

फोन नंबर

ग्राम/शहर

पिन कोड

मोबाइल नंबर

तहसील

आत्मज

कक्षा

जिला

विषय में प्रवेश प्राप्त किया

मैं

सेवसन

सत्र

मैं

हूँ। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता / चाहती हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने ती स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करेंगा/करेंगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करेंगा/करेंगी।

पुस्तक/पुस्तके स्वच्छ/साफ-सुधरा रखेंगा/रखेंगी। विद्वृप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मूल्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करेंगा/करेंगी।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर देकर घर ले जाएंगा/जाएंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर हो गी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

.आत्मज श्री.

मैं आत्मज श्री.....
अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या..... कहा
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-खाल करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्ष

स्थानः-.....

पूरा नाम...

दिनांक.....

मकान नम्बर..

दिनांक..... अवधि.....

तार्द

18013.....

बाप / शहर

प्रोफेसनल

प्रिय कोइ

प्राचीन

मोबाइल नंबर

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

पात्रार्थ

સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦૮૦)
 (૩૦૮૦) વિશ્વ વિદ્યાલય (સંશોધન) આધિનિયમ ૧૮/૨૦૦૮ દ્વારા સ્થાપિત
નામાંકન હેતુ આવેદન -પત્ર

પ્રતિ,

કુલ સચિવ,

સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦૮૦)

મહોદય,

નિવેદન હૈ કી મૈં ઉચ્ચ શિક્ષા કે લિએ વિશ્વ વિદ્યાલય મેં અપના નામ અંકિત કરવાના ચાહતા/ચાહતી હું। મેરા સરગુજા વિશ્વ વિદ્યાલય, અમ્બિકાપુર (૩૦૮૦) મેં નામાંકિત નહીં હુआ હૈ, ઇસ હેતુ નિર્ધારિત શુલ્ક ભેજ રહા હું।

આ વિશ્વ વિદ્યાલય મેં મહાવિશ્વવિદ્યાલયીન/અમ્ભા./પર્વ છાત્ર/છાત્રા કે રૂપ મેં નામાંકન ક્ર..... હૈ। નામાંકન શુલ્ક - ૧૦૦ રૂ.૩૦ સિતામ્બર કે બાદ તથા સત્ર કે અન્દર પ્રસ્તુત આવેદન કે સાથ રૂ. ૧૫૦ અપ્રવાસન શુલ્ક અપ્રવાસન શુલ્ક - ૩૦૦ રૂ.

શુલ્ક - ૧૦૦ રૂ.૩૦ સિતામ્બર કે બાદ તથા સત્ર કે અન્દર પ્રસ્તુત આવેદન કે સાથ રૂ. ૧૫૦ અપ્રવાસન શુલ્ક અપ્રવાસન શુલ્ક - ૩૦૦ રૂ.

ઇસકે બાદ આવેદન પ્રસ્તુત કરને પર બિલમ્બ શુલ્ક રૂ. ૧૫૦ અતિરિક્ત દેય હોગા।

વિવરણ નિર્માનનુસાર હૈ:-

1. પૂરા નામ (હિન્ડી માટે).....
2. અંગેજી કે બડે અક્ષરોમાં.....
3. પિતા કા નામ.....
4. જન્મ તિથિ (હાર્દિક ૦૧૦૧૦)
5. માતા કા નામ.....
6. છ.ગ.મેનિવાસ કવ સે કર રહે હોય.....
7. પ્રસ્તાવિત પરીક્ષા કા નામ.....
8. પિછળી પરીક્ષા કા વિવરણ જો ઉત્તીર્ણ હૈ, કક્ષા.....
- સત્ર.....
- વિશ્વવિદ્યાલય/વિદ્યાલય.....
- અનુક્રમાંક.....

હાયર સેકણ્ડરી સર્ટિફિકેટ કી સત્યાપિત અંક સૂચી અનિવાર્ય રૂપ સે સંલબ્ધ હો એવં પ્રસ્તાવિત પરીક્ષા મેં સમ્મિલિત હોને કી પાત્રતા દેને વાતી અંકસૂચી કી સત્યાપિત પ્રતિ સંલબ્ધ હો। છ.ગ.કે બાહર કે બોર્ડ યા વિ.વિ.સે આને વાલે છાત્ર કો વિશ્વ વિદ્યાલય સે જારી પ્રમાણ-પત્ર કે સાથ મૂલ પ્રવજન પ્રમાણ-પત્ર સમ્મિલિત કરના હોગા।

(સમર્સ્ત અંક સૂચી અભિપ્રમાપિત હો) તથા અપ્રવાસન શુલ્ક ૩૦૦ રૂ. જમા કરના હોગા।

ઘર કા સ્થાયી પતા :-

વર્તમાન પતા

આવેદક કે હસ્તાક્ષર
 (નામ એવં પિતા કા નામ છાત્ર/છાત્રા સ્વયં ભરેં)

શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી.....

પિતા કા નામ.....

નામાંકન કિયા ગયા, નામાંકન અંક.....

હૈ।

કુલસચિવ

(०५०८) राजकालीन, इतिहासीकृति विद्यालय
महाविद्यालय कार्यालय के लिए

विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में लिखा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार ठीक है कि प्रमाण-पत्रों की जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है कि मैंने स्वयं देखे हैं और उसकी भलीभांती जांच कर दी है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम) परीक्षा सत्र

मैं बोर्ड/वि.वि. से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि वि.वि. से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि. परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है।

2. विद्यार्थी को महाविद्यालय से तिथि को प्रवेश दिया गया है। छ.ग.वि.वि. अधिनियम 22 वाँ 1976 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से वि.वि. के पत्र क्रमांक के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
महाविद्यालय के मुहर

टीप-

1. इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रमाण-पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाण-पत्र दिये गये अनुसार होना चाहिए।
2. नाम परिवर्तन हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
3. इस आवेदन पत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें एवं अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
4. छ.ग.बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं वि.वि. से आएँ छात्रों को प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र नामावली पत्रक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रों को हायर सेकेण्डरी की अंक सूची (सत्यापित) संलग्न करना अनिवार्य है।

नामांकन कार्यालय

(०५०८) राजकालीन, इतिहासीकृति विद्यालय)

प्रियकृ/प्रियार्थी/प्रिया

महाविद्यालय

कांठ राजस्थान, १३८ नंबरी लकड़ी बाजार

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I(full name of student with admission/ registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms.

....., having been admitted to (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I here by solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear.

Signature of deponent

Name.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the(day) of(month).....(year)
(usg) (dnom) to (yob) adt ent no (sdal) bly
Signature of deponent

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

- I, Mr./Mrs./Ms. (full name of parent/ guardian) father/mother/guardian of student with admission/ registration/enrolment number), having been admitted to (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertaken that
- a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that if found guilty of ragging , my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this day of month of year.

Signature of deponent

Name.....

Address.....

Telephone/ M.No.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..... (place) on this the(day) of (month)..... (year)

Signature of Deponent

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

डॉ. एम.एस.अग्रवाल, प्राचार्य एवं संरक्षक

1. डॉ. एच.एन. दुबे, सहा.प्रा.राजनीति शास्त्र- प्रवेश संयोजक वा गोज्य संकाय,
प्रभारी यू.जी.सी., रुसा.एन.एस., छात्र संघ
क्रीड़ा, रेडक्रास, परोक्षा, सहायक जनसूचना अधिकारी
एवं प्रवेश संयोजक एनाईक स्तर कला संकाय
2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, सहा. प्रा. इतिहास - ग्रंथालय, युवा उत्सव, स्टोर प्रभारी, एत्युग्मनी एसोसिएशन
एवं प्रवेश संयोजक विज्ञान संकाय
3. प्रो.प्रतिभा कश्यप, सहा.प्रा. समाजशास्त्र- नैक प्रकोष्ठ, रिसर्च सेमिनार सेल, प्रवेश संयोजक स्नातकोत्तर
एवं कम्प्यूटर आधारित समस्त पाठ्य नमूने
स्थापना छात्रवृत्ति एवं अशासकीय लेखा
4. श्रीमती कामना अम्बस्थ, सहा.ग्रेड-01 - शासकीय लेखा छात्र शाखा, प्रवेश, स्थापना एवं आवक जावक
5. श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सहा.ग्रेड-02 - अंग्रेजी
6. श्री अनुराग तिवारी, बुकलिफ्टर - ग्रंथालय प्रभारी
7. श्री रावेन्द्र कुमार पैकरा, महाविद्यालयीन सेवक- स्टोर प्रभारी
8. श्री चेतन राम राजवाडे, श्री गिरधारी राम, श्री रामाधार पात्रे, महाविद्यालयीन सेवक

शुल्क तालिका सत्र 2016-17

शुल्क विवरण	स्नातक कला एवं वाणिज्य	स्नातक विज्ञान	स्नातकोत्तर कला
शिक्षण शुल्क	118/-	138/-	153/-
अवधान राशि	60/-	100/-	100/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	11/-	11/-	11/-
परिचय पत्र	40/-	40/-	40/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	100/-	100/-	100/-
कामन रूप/वाचनालय	20/-	20/-	20/-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	80/-	80/-	80/-
ब्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	12/-	12/-	12/-
जनभागीदारी शुल्क	500	1500	500
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40/-	40/-	40/-
रेड क्रास शुल्क	25/-	25/-	25/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-	22/-	22/-
सम्प्रिलित निधि शुल्क	17/-	17/-	17/-
स्नेह सम्प्रेलन	30/-	30/-	30/-
चिकित्सा शुल्क	3/-	3/-	3/-
नामांकन शुल्क	100/-	100/-	100/-
युवा गतिविधि शुल्क	2/-	2/-	2/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-	150/-	150/-
वि.वि.पुस्तकालय	20/-	20/-	20/-
स्टेशनरी शुल्क	5/-	5/-	5/-
योग	1380/-	2440/-	1455/-

